न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 41/2024

अपीलांट्स – *<u>बनाम</u>* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स:

1. जोगाराम पुत्र भगवानाराम
2. गेनाराम पुत्र भगवानाराम के फौत के कायम मुकाम
   2/1 देवेन्द्र पुत्र गेनाराम
   2/2 लुणाराम पुत्र गेनाराम
   2/3 छगनी देवी पत्नि गेनाराम
3. सोनाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की ढाणी (खीपर) तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स:

1. हडुमानराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की ढाणी (खीपर) तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 200 दिनांक 21.12.2004 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री कुलदीप चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 2 प्रर्फोमा पक्षकार।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 13.01.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 200 दिनांक 21.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जांदुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 16, 225, 274, 303, 306, 313, 271, 272, 273, 293 रकबा 364–25 बीघा एवं मौजा खींपर में खेत खसरा संख्या [illegible] रकबा 40–11 बीघा एवं मौजा रामसरिया में खसरा संख्या 580 रकबा [illegible] बीघा भूमि खातेदारान जोगाराम, गेनाराम, सोनाराम पि. भगवानाराम, हडुमान पुत्र धना, मीराबाई पुत्री भगवानाराम, पुरोबाई पत्नि हडुमान कौम जाट सा. देह जांदुओं की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो के विभाजन हेतु दिनांक 21.12.2004

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी खींपर की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 200 दिनांक 21.12.2004 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.09.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा जांदुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 16, 225, 274, 303, 306, 313, 271, 272, 273, 293 रकबा 364–25 बीघा एवं मौजा खींपर में खेत खसरा संख्या 198 रकबा 40–11 बीघा एवं मौजा रामसरिया में खसरा संख्या 582 रकबा 50–17 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खेत खसरों में अपीलाधीन भूमि के पूर्व में हुए बंटवाडे के समय वादग्रस्त भूमि में मीरों बाई बेवा भगवानाराम का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा था मीरों बाई के निधन हो जाने से उक्त हिस्सा अपीलांट मे निहित हो जाने से वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का हिस्सा 1/2 हो गया। इसी प्रकार पुरो बाई पत्नि हडुमानाराम का वादग्रस्त भूमि मे 1/4 हिस्सा था पुरो बाई का निधन हो जाने से वादग्रस्त भूमि का हिस्सा उतरदाता संख्या 1 में निहित हो जाने से वादग्रस्त भूमि में उतरदाता सं. 1 का हिस्सा 1/2 हो गया। इसी अनुसार अपीलांट्स एवं उतरदाता का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रहवास थे। वर्ष 2004 में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कैम्प में उतरदातागण ने अपीलांट को खातेदारी खेतो का कब्जे तथा हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन करवाने का कहा, जिस पर अपीलांट ने उतरदातागण पर विश्वास करके आपसी सहमति से खेतो का विभाजन करवाने की सहमति दी। उतरदाता संख्या 1 ने विभाजन हेतु हल्का पटवारी एवं आरआई से सम्पर्क कर उपरोक्त खेतों के विभाजन कागजात तथा नक्शा तैयार करवाये। हलका पटवारी व उतरदातागण द्वारा अपीलांट्स को बताया कि विभाजन आवेदन व नक्शा पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार तथा बराबर हिस्से अनुसार किया गया है। चुंकि अपीलांट अनपढ व्यक्ति थे उन्होने पटवारी हल्का व उतरदातागण पर विश्वास करके अगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर उतरदाता संख्या 2 को हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु दिया, जिस पर उतरदाता संख्या 2 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो दुरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बटवारा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते वाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर वाड़मेर (ए.डी.एम.)

विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ दिन पूर्व जव उतरदाता संख्या 1 ने अपीलांट्स को उसके हिस्से तथा ढाणी से बेदखल करने की धमकी दी, जिस पर अपीलांट्स को अपने हक संशयप्रद लगे तव अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार बायतु एवं पटवारी हल्का से नामान्तरकरण संख्या 77 की नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 28.08.2024 एवं 11.09.2024 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा जांदुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 16, 225, 274, 303, 306, 313, 271, 272, 273, 293 रकबा 364–25 बीघा एवं मौजा खींपर में खेत खसरा संख्या 198 रकबा 40–11 बीघा एवं मौजा रामसरिया में खसरा संख्या 582 रकबा 50–17 बीघा आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जांदुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 16, 225, 274, 303, 306, 313, 271, 272, 273, 293 रकबा 364–25 बीघा एवं मौजा खींपर में खेत खसरा संख्या 198 रकबा 40–11 बीघा एवं मौजा रामसरिया में खसरा संख्या 582 रकबा 50–17 बीघा भूमि खातेदारान जोगाराम, गेनाराम, सोनाराम पि. भगवानाराम, हडुमान पुत्र धना, मीराबाई पुत्री भगवानाराम, पुरोबाई पत्नि हडुमान कौम जाट सा. देह जांदुओ की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 21.12.2004 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी खींपर की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 290 [illegible] पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 [illegible] के समक्ष दिनांक 18.09.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत [illegible] हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम [illegible] मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का [illegible] अपीलाधीन विभाजन आदेश मौका स्थिति

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अनुसार नहीं हुआ है जिससे अपीलांट्स की ढाणी उतरदाता के हिस्से मे चली गई। जिससे अपीलांट्स को उसके स्वयं द्वारा बनाई गई ढाणी एवं उपजाउ भूमि से वंचित होने से उक्त आदेश निरस्त योग्य है। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, वाड़े इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणी, बाड़े इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकरान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट्स तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 200 दिनांक 21.12.2004 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाटाडू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:51:53 IST
Reason: SelfAttested